रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-64/2026/577/22-2-2025-17(366)/2022
लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार उर्फ मोनू मित्तल (बन्दी संख्या-48545) पुत्र श्री सुलक्षण मित्तल, ग्राम-मो0 तीरथ, कस्बा व थाना-गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-292/2006 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 201, 120बी व 30 ए.एक्ट के अन्तर्गत मा० सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 26.03.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 11.12.2009 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। दिनांक 11.01.2025 तक अपरिहार 19 वर्ष, 01 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 22 वर्ष, 10 माह, 21 दिन की सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-64/2026/577(1)/22-2-2025 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
3- पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित क्रिमिनल मिस० रिट पिटीशन सं0-168/2024 पवन कुमार मित्तल उर्फ मोनू मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2025 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in